न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेड़

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम,आर.ए.एस.

अपील संख्या 27 / 2018

<u>अपीलान्टगण</u> **बनाम** **<u>रेस्पोडेन्टगण</u>**

1.सुजाराम पुत्र स्व0 गेराराम
2.जड़ाव पत्नी स्व0 अमराराम
3.राजूराम पुत्र स्व0 अमराराम उम्र 14 वर्ष
4.कालूराम पुत्र स्व0 अमराराम उम्र 12 वर्ष
5.डूंगरराम पुत्र स्व0 अमराराम उम्र 09 वर्ष
अपीलान्ट संख्या 3 से 5 नाबालिग जरिये
कुदरती वलीया माता अपीलांट सं. 02
जड़ाव पत्नी स्व0 अमराराम
6.कानाराम पुत्र स्व0 गिरधारीराम
7.मेलाराम पुत्र स्व0 रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम
8.महेन्द्र पुत्र स्व0 रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम
9.हड़मान पुत्र स्व0 गिरधारीराम
जातियान भील निवासीगण सांभरा
तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

1. सरपंच तत्कालीन ग्राम पंचायत सांभरा
वर्तमान ग्राम पंचायत खेड़ तह.पचपदरा
2. श्रीमती धापु पत्नी दुर्गाजी जाति भील
निवासी सांभरा तहसील पचपदरा

<u>नामान्तरण अपील खिलाफ आदेश सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा वर्तमान ग्राम पचांयत खेड़, नामान्तरकरण संख्या 724 दिनांक 05.04.2003</u>

<u>उपस्थित</u>

अपीलान्ट गण स्वयं

रेस्पोडेन्ट संख्या 1

अधिकारी (S.D.O.) उपखण्ड बालोतरा

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 14.06.2018

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 724 तत्कालीन ग्राम पंचायत सांभरा द्वारा जो पारित किया गया है जिसे मन्सुख फरमाया जाकर ग्राम कलावा के खसरा नंबर 29 रकबा 6.11 बीधा भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्टगण के नाम भरा जावें एवं 60 बीघा भूमि की नामान्तरकरण प्रविष्टि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम भरने का आदेश फरमावें ।

अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया । सरपंच ग्राम पंचायत खेड़ उपस्थित । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 धापू बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई । राजस्व लोक अदालत के मजमे आम में पूछताछ की गई तथा इस संबंध मे चर्चा की गयी । उपस्थित ने स्वीकार किया 60 (साठ) बीघा भूमि खरीद की थी लेकिन पटवारी हल्का की गलती से पूरा रकबा धापूदेवी के नाम कर दिया जो गलत है,सही नामान्तरकरण भरा जावें ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

हमनें अपील व दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया । बेचान दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 2 के अंतिम पेरा संख्या 4 व पृष्ठ संख्या 3 के पेरा नम्बर 5 से स्पष्ट है कि बेचान 60 (साठ) बीघा का किया गया है । अपीलान्ट द्वारा बेचान दस्तावेज मौजा कलावा के खसरा नंबर 29 रकबा 66.11 बीघा बा.दो. मे से 60 बीघा का बेचान किया गया जबकि नामान्तरकरण संख्या 724 उक्त खसरे के पूरे रकबा 66.11 बीघा का भरा गया जो पंजीबद्व दस्तावेज के विरूद्व भरा गया है ।

अतः नामान्तरकरण संख्या 724 पर सरपंच ग्राम पंचायत सांभरा का आदेश 05.04.2003 को अपास्त किया जाता है तथा हल्का पटवारी खेड़ को निर्देश दिये जाते है कि पंजीबद्व दस्तावेज संख्या 1263 दिनांक 19.11.1998 के अनुसार बेचान रकबा 60 बीघा का नामान्तरकरण पारित कर संबंधित सर्किल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प खेड़ मे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प.. 20-3-

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner